

२१/०१/२५

अधिवक्ता अपीलान्त अनु. अपीलान्त व
उनेके अधिवक्ता के न्यायालय की ओर
से बार-बार आवाजें लगाने के बावजूद
अनु. अतः पत्रावली अदम. हाजरी व
अदम पेशी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फेसल शुमार होठ नम्बर से
कुम होठ दायिल दफ्तर हो।